26.9.24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/412

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.27 17:34:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :–सदीप कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. :– 174/2024 दायरा दिनाक 28.06.2024
जीसीएमएस नं. :–2024/412

1. जगदीश पुत्र श्री इन्द्राज भारती
2. कुम्भाराम पुत्र श्री बीरबलगर
3. तोलगर पुत्र श्री बीरबलगर
4. पुरखगर पुत्र श्री बीरबलगर
5. भादरगर पुत्र श्री बीरबलगर

} अकवाम गुसाई साकिनान 1 जी पी एम गोपालसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र श्री शेराराम जाति जाट साकिन बख्तावरपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
2. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैक शाखा, सूरतगढ़।
3. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. बैक शाखा, बीरमाना।
4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. वर्तमान एस.बी.आई. शाखा, सूरतगढ़।
5. तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए 1955

उपस्थित :– 1. श्री कमलदत शर्मा अधिवक्ता – प्रार्थीगण
2. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – अप्रार्थी न. 1

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 26.09.2024

प्रकरण के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने दावा के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज किया कि प्रार्थी न. 1 के नाम से चक 2 जीपीएम के पत्थर न. 160/46 के किला न. 4 ता 7, 11/2 ता 25 में 4.201 हैक. कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी व प्रार्थी न. 2 ता 5 के नाम से इसी चक के पत्थर न. 160/45 के किला न. 15 ता 17, 24/2, 25/2 में 1.215 हैक. कमाण्ड व पत्थर न. 160/53 के किला न. 11 ता 13, 18 ता 23/2 में 2. 202 हैक. कुल 3.417 हैक. रकबा खातेदारी है तथा अप्रार्थी न. 1 के नाम से इसी चक 2 जीपीएम के पत्थर न. 160/45 के किला न. 18 ता 23/2 में 1.443 हैक. व पत्थर न. 160/46 के किला न. 1 ता 3, 8 ता 10/3 में 1.493 हैक. कुल 2.936 हैक. कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस प्रकार प्रार्थीगण के मुरब्बा में ही अप्रार्थी न. 1 की खातेदारी भूमि है अप्रार्थी न. 1 का अप... कब्जा काश्त है प्रार्थीगण का पैतृक रकबा हे जो खर्च कर समत... सुधारी हुई भूमि देखकर अप्रार्थी न. 1 के मन में बदनीयती आ गई। प्रार्थी... अप्रार्थी को एक ही मुरबा में किला नम्बर भिन्न – 2 है प्रार्थीगण अपने रकबा पर काबिज है अप्रार्थीगण के सुधारे हुये रकबा पर जबरन काबिज होने पर उतारू है प्रार्थीगण के रकबा पर अप्रार्थीगण को दखलदाजी करने का कोई हक नही है अप्रार्थी न. 1 अकारण ही रजिश वंश भू माफिया किस्म के व्यक्तियो के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.27 17:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

प्रकरण संख्या:—174 / 2024
जी.सी.एम.एस.:—2024 / 412
निर्णय दिनांक:— 26.09.2024

साथ मिलकर व सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर प्रार्थीगण के रकबा पर काबिज होकर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहता है अप्रार्थी न. 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है प्रार्थीगण ने अपने रकबा पर चारो और कटीली तार व पीलर से तारबन्दी कर रखी है। प्रार्थीगण अपने रकबा के खातेदार काश्तकार है अप्रार्थी एकतरफा सीमाज्ञान करवाकरनिशानदेही करवा कर जबरन दखलदाजी की कोशिश कर रहे है अप्रार्थी ने पटवारी हल्का से एकतरफा पैमाईश करवाई है प्रार्थी को सुचना ही नही दी है। अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के रकबा पर घुसने की ऐलानिया धमकी दी है कि उसने प्रार्थीगण की भूमि पर निशानदेही लेने के आदेश करवा लिये है प्रार्थीगण रकबा छोड़ देवे अन्यथा प्रार्थीगण के रकबा पर लगे पीलर व तार उखाड़ कर अप्रार्थी काबिज हो जावेगे इस प्रार्थीगण ने पचायत बुलाई तो एक बार तो प्रार्थी मान गया परन्तु दिनाक 25.06.2024 को पटवारी हल्का को साथ लेकर जबरिया निशान लेकर काबिज होना चाहता है जो कतई गलत है। इसलिये दावा के निर्णय तक अप्रार्थी के विरूद्व अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई करने का निवेदन किया कि अप्रार्थी न. 1 प्रार्थीगण के खातेदारी रक़बा में जब तक अप्रार्थी न. 1 किसी तरह की दखलदाजी ना तो स्वंय करे व ना ही किसी अन्य से करवायें तथा रिकॉर्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनकर दिनाक 28.06.2024 को अप्रार्थी न. 1 के खिलाफ एकतरफा टी.आई. जारी कर पाबन्द किया कि आगामी आदेश तक प्रार्थीगण के रकबा का जब तक सीमाज्ञान नही करवाया जाता तब तक किसी तरह की दखलदाजी ना तो अप्रार्थी स्वंय करे व ना ही किसी अन्य से करवावे तथा अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी की और से जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी न. 1 प्रार्थीगण के रकबा में दखलदाजी करने का कोई इरादा नही है व अप्रार्थी ने ऐसा कोई प्रयास नही किया है। प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में अप्रार्थी न. 1 के खातेदारी रकबा पर अवैध रूप से काबिज होने का प्रयास किया जा रहा है अप्रार्थी ने नियमानुसार राशि जमा करवाकर विधिवत् आवेदन के द्वारा मौका पर सीमाज्ञान करवाया है तथा राजस्व अधिकारी ने विधी सम्मत् तरीके से आधुनिक सीमाज्ञान यंत्र से करवाया है प्रार्थीगण निषेधाज्ञा की आड में अप्रार्थी के विधिक अधिकारो में बाधा डाल रहे है सीमाज्ञान के समय प्रार्थीगण उपस्थित थे प्रार्थीगण ने धीरे – धीरे अप्रार्थी के रकबा की और बढ़ कर अप्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया है। प्रार्थीगण से सही सीमाज्ञान करवाया तो प्रार्थीगण की मंशा का पता चला इसलिये पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दावा के निर्णय तक स्थाई करने का निवेदन किया अप्रार्थी के अधिवक्ता ने पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को खारि[illegible] का निवेदन किया कानूनी नजीर आरएलडब्लयू 2012 (2) पेज 935 पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनकर [illegible] किया। दोनो पक्षो का एक ही मुरब्बा में अलग – अलग किला नम्बरान में खातेदारी रकबा है। दोनो पक्षो के अपने अलग किलो में खातेदारी रकबा होना दोनो पक्ष [illegible]कार कर रहे है तथा जमाबंदी से भी साबित है। प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा में अप्रार्थी दखलदांजी करता है, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में मौजूद नही है। बल्कि प्रार्थीगण ने ही अप्रार्थी का कूछ रकबा पर गैरकानुनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.27 17:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या:—174 / 2024
जी.सी.एम.एस.:—2024 / 412
निर्णय दिनांक:— 26.09.2024

तरीके से अतिक्रमण कर रहा है जो डीजीपीएस मशीन से की गई पैमाईस से साबित है, इस प्रकार प्रार्थीगण अप्रार्थी के खातेदारी रकबा पर अस्थायी निषेधाज्ञा की आड़ मे काबिज होना प्रतीत होता है जो कतई गलत व अनुचित है, इसलिये इस प्रकरण मे पूर्व मे दिनांक 28.06.2024 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए. खारीज किया जाता है तथा पूर्व मे दिनांक 28.06.2024 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील पत्रावली दफतर दाखिल हो।

. निणर्य खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सदीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.27 17:34:16 IST
Reason: SelfAttested